प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

सुनीता बनाम तुलेराम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.3.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी ख0न0 34/1217/0.3000, 49/0.6400, 97/0.3300 कुल किता 5.0700 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढवास जिला अलवर राजस्थान में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उज्र पेश करे। प्रार्थी इस अमर का रजि0 एडी0 से तलबाना पेश करे। आयान्दा दिनांक 15.3.22 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी किशनगढवास(अलवर)	
15-3-22 वकील वादी उप0। इंतजार तामील दिनांक 12-4-22 को पेश हो।	

12-4-22 वकील वादी उप0। वास्ते इंतजार तामील मे दिनांक 8-6-22 को पेश हो।

8-6-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण)
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 20-7-22
को पेश हो।

रीडर

20-7-22 वकील प्रार्थी उप० । वास्ते इंतजार तामील दिनांक 25-7-22 को पेश हों।

25-7-22 पत्रावली पेश हुयी। वादी ने मूलवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली पर फ़ैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।